ई–मेल / पंजीकृत

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–266 (भा.स.)सा0प्र0 / 2017–98टीआर / 2017, लखनऊ : दिनॉक अप्रैल, 2017

सेवा में,

1– अपर परिवहन आयुक्त(पूर्वी / मध्य / पश्चिमी), मुख्यालय–लखनऊ / कानपुर / मेरठ।
2– समस्त उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
3– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
5– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।
6– समस्त यात्रीकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–सा.का.नि.397(अ), दिनांक 20.04.2017 के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–सा.का.नि.397(अ), दिनांक 20.04.2017 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ है, जो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–108 (वाहनों पर लाल, सफेद या नीले प्रकाश का प्रयोग) में संशोधन के दृष्टिगत प्रकाशित करते हुये आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी है।

अतः संबंधित व्यक्तियों के सूचना हेतु उक्त अधिसूचना दिनांक 20.04.2017 की हिन्दी व अंग्रेजी प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीया,
21.4.17
(इन्दिरा सिंह)
सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

पृ0सं0–266 (भा.स.–1)सा0प्र0 / 2017–समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2– निजी सचिव, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
3– समस्त अधिकारी (परिवहन आयुक्त महोदय को छोड़कर), मुख्यालय।
4– अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), उ0प्र0 को उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 20.04.2017 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत पत्रावली से अग्रेत्तर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
5– श्री विनीत त्रिपाठी, डी0बी0ए0 (NIELIT से आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न अधिसूचना दिनांक 20.04.2017 को वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
6– वैयक्तिक सहायक, परिवहन आयुक्त कैम्प कार्यालय।
7– गार्ड फाइल।

(इन्दिरा सिंह)
सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2017/चैत्र 30, 1939
No. 308] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2017/CHAITRA 30, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 397(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है ।

   (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 में,—

   (क) उपनियम (1) के परंतुक में,—

      (i) खंड (ii) में, "वायुपत्तनों, पत्तनों" शब्दों के स्थान पर, "वायुपत्तनों, पत्तनों, खानों और परियोजना स्थलों" शब्द रखे जाएंगे ;

      (ii) खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

      (iii) खंड (v) का लोप किया जाएगा ;

   (ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपनियम (4) में, "आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी-11036/24/2017-एमवीएल]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. ......(अ), तारीख.......... द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2017

G.S.R. 397(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of ten days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 108,—

(a) in sub-rule (1), in the proviso,

(i) in clause (ii), for the words "airports, ports", the words "airports, ports, mines and project sites" shall be substituted;

(ii) clause (iii) shall be omitted;

(iii) clause (v) shall be omitted;

(b) sub-rules (2) and (3) shall be omitted;

(c) in sub-rule (4), for the words "emergency duties and shall be specifically specified by State Governments", the words "such emergency and disaster management duties as may be specified by the Central Government" shall be substituted;

(d) sub-rules (5) and (6) shall be omitted.

[F. No. RT-11036/24/2017-MVL]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* notification number G.S.R. _____(E) dated ______.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2017.04.20 20:17:44 +05'30'